न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास जिला (अलवर)

अध्याशितः— श्री गंगाधर मीणा आर0ए0एस

दावा सं0	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
53/22	25.2.22	28.9.22

उनवान

1. रामेश्वरी उर्फ रामवती पत्नी जुगलकिशोर जाति खटीक निवासी गंज तहसील किशनगढ़बास जिला अलवर राज0।

— वादीया—

बनाम

1. इमरती पत्नी इमरतलाल जाति मेघवाल निवासी माछरोली तहसील किशनगढ़बास जिला अलवर राज0।
2. गोपालशरण पुत्र शेरसिंह
3. विजय कुमार पुत्र शेरसिंह
4. सरजीत पुत्र शेरसिंह
5. हुकमचंद पुत्र शेरसिंह
6. चंद्रपति पुत्री शेरसिंह
7. कौशल्या पुत्री शेरसिंह
8. संतोष पुत्री शेरसिंह जाति मेघवाल निवासीयान माछरोली तहसील किशनगढ़बास जिला अलवर राज0।
9. भूमिधारी तहसीलदार लैण्ड होल्डर किशनगढ़बास जिला अलवर राज0।

—प्रतिवादीगण—

दावा तकासमा 53, 188 आर0टी0एक्ट0

उपस्थितिः— 1.श्री सूरजभान वकील वादी की ओर से।
2.प्रतिवादी की एक पक्षीय कार्यवाही।

निर्णय

वकील वादी द्वारा पेश वाद के सक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से है किआराजी हाल खसरा नंबर 1058/2 रकबा 0.6323हे0, 1058/3 रकबा 0.6323हे0 वाके ग्राम माछरोली तहसील किशनगढ़बास जिला अलवर राज0 में स्थित है जो आराजी प्रस्तुत वाद में विवादित आराजी कहलावेगी। वास्ते मुलाहिजा नकल जमाबंदी सं0 2076 से 2079 संलग्न है। विवादित आराजी खसरा नंबर 1058/2 रकबा 0.6323हे0 में मिन वादीया का 2/3 भाग तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 भाग, तथा आराजी खसरा संख्या 1058/3 रकबा 0.6323हे0 में मिन वादीया का 1/2 भाग तथा प्रतिवादीगण का हिस्सा मुताबिक जमाबंदी कब्जा काश्त

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)

खातेदारीर की आराजी है जिस पर मिन वादीया अपने हिस्से के आराजी पर काबिज व दाखिल होकर काश्त कारोबार करती चली आ रही हूं। तथा राजस्व रिकॉर्ड में मिन वादीयाके नाम का इन्द्राज हिस्सा मुताबिक दर्ज चला आ रहा है। . विवादित आराजी का हम पक्षकारान के दरमियान आज तक कोई तकासमा नहीं हुआ है तथा विवादित आराजी पर हम पक्षकारान सामलात में ही काबिज व दाखिल होकर काश्त कारोबार करते चले आ रहे हैं तथा कानूनन जब तक विवादित आराजी का वास्तविक बंटवारा नहीं हो जाता है तब तक प्रत्येक इंच भाग भूमि पर प्रत्येक हिस्सेदार का पूर्ण हक हिस्सा निहित है।

मिन वादी अपने हिस्से मुताबिक जमाबंदी का तकासमा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स कराकर अलग से कुरेजात कायम कराने व अलग से लगान खाता कायम कराने के हकदार हैं व अलग से दखल प्राप्त करने का हकदार हे कि जिसके लिए दावा तकासमा दायर करना लाजिम आया है।

अतः प्रार्थना है कि हस्ब जैल दादरसी अता फरमाई जावेः—

अ. डिक्री तकसीम आराजी बहक वादीया विरूद्ध प्रति0 पारित की जाकर विवादित आराजी खसरा संख्या 1058/2 रकबा 0.6323हे0 का 2/3 भाग, आराजी खसरा संख्या 1058/3 रकबा 0.6323हे0 का 1/2 भाग वाके ग्राम माछरोली तहसील किशनगढ़बास जिला अलवर का तकासमा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स किया जाकर अलग से कुरेजात कायम किये जाकर तथा अलग से लगान खाता कायम किया जाकर वादी को अलग से दखल दिलाया जावे।

ब. जरिये हुक्मइम्तनाई दवामी प्रतिवादीगण को पाबं किया जावे कि वो विवादित आराजी खसरा संख्या 1058/2 रकबा 0.6323हे0, 1058/3 रकबा 0.6323हे0 वाके ग्राम माछरोली तहसील किशनगढ़बास जिला अलवर से जब्रन वादीया को बेदखल ना करें, ना ही कब्जा काश्त में मजाहमत व मदाखलत पैदा करें, ना ही वादीया की बोई हुई व कुदरती पैदावार को नष्ट भ्रष्ट करं, ना ही आराजी का कोई जुज किसी भी दीगर सख्स को रहन बैय हिबा लीज इत्यादि द्वारा मुंतकिल करे। राजस्व रिकॉर्ड व मौका की यथावत स्थिति कायम रखें।

स. खरचा हरजा मुकदमा का वादीया को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

द. दीगर दादरसी जो नजदीक अदालत मुनासिब हो बहक वादीया बख्सी जावे।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया प्रतिवादीगण बावजूद सूचना उपस्थिति नही । उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाती है। दावा एक पक्षीय प्रारम्भिक डिकी किया गया। तहसीलदार से कुर्रे कायमी रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार किशनगढबास को मौके पर जाकर राजस्व रिकार्ड अनुसार कुर्रे कायम करने हेतु पत्र जारी किया गया। तहसीलदार ने अपने पत्रांक/कमांक /भू0अ0/2022/1191 दिनांक 12.5.2022 के द्वारा मौके पर जाकर कुर्रे कायमी रिपोर्ट तैयार कर न्यायालय हाजा को भिजवाई गई ।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)

कुर्रे कायमी रिपोर्ट आने के बाद वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई वकील वादी ने मुताबिक कुर्रे कायमी दावा वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

वकील वादी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया तहसीलदार किशनगढबास द्वारा भिजवाई गई कुर्रे कायमी रिपोर्ट अनुसार वाद वादी बाबत तकासमा आराजी फाईनल एक पक्षीय डिक्री किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है किः—

वाद वादी मुताबिक कुर्रे कायमी रिपोर्ट के डिक्री किया जाकर आदेश दिये जाते है कि पक्षकारान के नाम के सम्मुख अंकित आराजी उनके कब्जे काश्त खातेदारी में रहेगीः—

क्र०सं०	नाम काश्तकार मय वल्दीयत	खसरा नंबर	रकबा हे०	लगान
1.	रामेश्वरी उर्फ रामवती पत्नि जुगल किशोर जाति खटीक सा0 गंज तह0 किशनगढबास खातेदार	1058/2 1 1058/3 1	0.4215 0.3161	1.98 1.49
2.	इमरती पत्नि इमरत लाल जाति चमार सा0देह खातेदार	1058/2 2	0.2108	0.99
3.	गोपालशरण, विजयकुमार, सरजीतसिहं, हुकमचन्द पुत्रान शेरसिह कौशल्या चन्द्रपति, सन्तोष पुत्रीयान शेरसिह जाति मेघवाल सा0देह खातेदार	1058/3 2	0.3162	1.48

प्रस्तावित उक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो नजरी नक्शा डिक्री का जुज रहेगा, पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना—अपना वहन करेंगे निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल रिकार्ड हो।

(गंगाधर मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास जिला (अलवर)

अध्याशितः– श्री गंगाधर मीणा आर0ए0एस

दावा सं0	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
53/22	25.2.22	28.9.22

<u>उनवान</u>

1. रामेश्वरी उर्फ रामवती पत्नी जुगलकिशोर जाति खटीक निवासी गंज तहसील किशनगढ़वास जिला अलवर राज0।

– वादीया

वनाम

1. इमरती पत्नी इमरतलाल जाति मेघवाल निवासी माछरोली तहसील किशनगढ़वास जिला अलवर राज0।
2. गोपालशरण पुत्र शेरसिंह
3. विजय कुमार पुत्र शेरसिंह
4. सरजीत पुत्र शेरसिंह
5. हुकमचंद पुत्र शेरसिंह
6. चंद्रपति पुत्री शेरसिंह
7. कौशल्या पुत्री शेरसिंह
8. संतोष पुत्री शेरसिंह जाति मेघवाल निवासीयान माछरोली तहसील किशनगढ़बास जिला अलवर राज0।
9. भूमिधारी तहसीलदार लैण्ड होल्डर किशनगढ़बास जिला अलवर राज0।

–प्रतिवादीगण

दावा तकासमा 53, 188 आर0टी0एक्ट0

उपस्थितिः– 1.श्री सूरजभान वकील वादी की ओर से।

2.प्रतिवादी की एक पक्षीय कार्यवाही।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)

पर्चा डिक्री

वाद वादी मुताबिक कुर्रे कायमी रिपोर्ट के डिक्री किया जाकर आदेश दिये जाते है कि पक्षकारान के नाम के सम्मुख अंकित आराजी उनके कब्जे काश्त खातेदारी में रहेगीः—

क्र०सं0	नाम काश्तकार मय वल्दीयत	खसरा नंबर	रकबा हे०	लगान
1.	रामेश्वरी उर्फ रामवती पत्नि जुगल किशोर जाति खटीक सा0 गंज तह0 किशनगढबाास खातेदार	1058/2 1 1058/3 1	0.4215 0.3161	1.98 1.49
2.	इमरती पत्नि इमरत लाल जाति चमार सा0देह खातेदार	1058/2 2	0.2108	0.99
3.	गोपालशरण, विजयकुमार, सरजीतसिहं, हुकमचन्द पुत्रान शेरसिह कौशल्या चन्द्रपति, सन्तोष पुत्रीयान शेरसिह जाति मेघवाल सा0देह खातेदार	1058/3 2	0.3162	1.48

प्रस्तावित उक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो नजरी नक्शा डिक्री का जुज रहेगा, खर्चा फरीकेन अपना—अपना वहन करेंगे निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल रिकार्ड हो।

(गंगाधर मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)